र्गजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

### **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 900] No. 900] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2017/कार्तिक 11, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2017/KARTIKA 11, 1939

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 2 नवम्बर. 2017

सा.का.नि. 1362(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्ते) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

6520 GI/2017 (1)

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तें ) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2011 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

# "अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद			सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. रजिस्ट्रार	5 * (2017). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-13 (रु. 123100- 215900/-)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : सीधी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
भर्ती द्वारा या प्रोन्नति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		परिस्थितियों में संघ लोक
द्वारा या			सेवा आयोग से परामर्श किया
प्रतिनियुक्ति/आमेलन			जाएगा
द्वारा तथा विभिन्न			
पद्धतियों द्वारा भरे जाने			
वाले पदों की प्रतिशतता			
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न	प्रोन्नति:- ऐसा उप रजिस्ट्रार जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने	लागू नहीं होता ।
हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	नियुक्ति के पश्चात वेतन  मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200/-रु.) के ग्रेड वेतन में	के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	
द्वारा	पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों ।		

टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: - ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बेचलर डिग्री धारण किए हों और जो:

- (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या
- (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु. में ग्रेड वेतन 7600/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; या
- (ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु., ग्रेड वेतन 6600 रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 के पद पर दस वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रितिनयुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रितिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रितिनयुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रितिनयुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (1) अधिकरण का अध्यक्ष
- अध्यक्ष :

3

- (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य;
- (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य :
- (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. उप रजिस्ट्रार	5 * (2017)	लागू नहीं होता	स्तर-12 (रु. 78800 - 209200)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)(11) (12)(13)विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने प्रोन्नति द्वारा जिसके न प्रोन्नति:- ऐसा सहायक रजिस्ट्रार जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के लागू नहीं होता। सकने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-पश्चात वेतन मैट्क्सि में स्तर 11 (67700-208700/- रु.) के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा की प्रतिनियुक्ति द्वारा और (1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष : जहां रिक्तियां प्रोन्नति/ टिप्पण .- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली प्रतिनियुक्ति के माध्यम (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येषुठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार से नि:शेष कर लेने के सदस्य - सदस्य: किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पश्चात भी रिक्त रह गई (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन है वहां ऐसे पदों की या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने मंत्रालय या उनके द्वारा नाम नामनिर्देशिती- सदस्य : संख्या का अधिकतम 20 अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अधिकारियों में से ऐसी सदस्य - सदस्य। प्रतिनियुक्ति: ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि शर्त के अध्ययधीन रहते धारण किए हों और जो : हुए कि ऐसा अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है, (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद पद के लिए अपेक्षित धारण किए हों या अर्हता और अनुभव रखते (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-3, 15600-39100/-है, आमेलन द्वारा भरने रु. में ग्रेड वेतन 6600/-रू. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा पर विचार किया जा सकेगा। कर चुके हों । टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. सहायक रजिस्ट्रार	5 * (2017).  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-11 (रु. 67700 - 208700/-)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)(11)(12)(13)प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) प्रोन्नित:- ऐसे अधिकारी जो विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और लागु नहीं होता। सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात और जहां रिक्तियां प्रोन्नति/ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (रु. 53100-167800) के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की (1) अधिकरण का अध्यक्ष प्रतिनियुक्ति के माध्यम से - अध्यक्ष : सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रु. 47600-151100) के ग्रेड वेतन नि:शेष कर लेने के पश्चात भी (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य में छह वर्ष की सेवा कर चुके हों। रिक्त रह गई है वहां ऐसे पदों सदस्य; की संख्या का अधिकतम 20 टिप्पण .- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय या प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके द्वारा नामनिर्देशिती अधिकारियों में से ऐसी शर्त के - सदस्य : उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब अध्ययधीन रहते हुए कि ऐसा (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति - सदस्य। पर है, पद के लिए अपेक्षित सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और अर्हता और अनुभव रखते हैं, उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा आमेलन द्वारा भरने पर पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी विचार किया जा सकेगा। परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति:- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो :

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में	नियमित
आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या	

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-. में ग्रेड वेतन 5400/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 में पांच वर्ष की या ग्रेड वेतन 4800/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 में छह वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड वेतन 4600/- रू. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में सात वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड वेतन 4200/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. उप लेखा	1 * (2017)	लागू नहीं होता	स्तर-11 (रु. 67700 -	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
नियंत्रक	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है		208700/-).					

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके	प्रोन्नति:- ऐसा लेखाधिकारी जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के	लागू नहीं होता ।
न हो सकने पर	पश्चात वेतन  मैट्रिक्स में स्तर 9 (रु 53100-167800/-) के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा कर	लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	
प्रतिनियुक्ति द्वारा	चुके हों।	(1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;	

टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: - ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में 6600/-रु. के ग्रेड वेतनमान में उप लेखा नियंत्रक या सदृश पद धारण किए हों या जो 5400/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों या जो 4800/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों या जो 4600/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 के ग्रेड वेतन में सात वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों या जो किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय में 4200/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन में रोकड़, लेखा, बजट के क्षेत्र में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य:
- (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;
- (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. प्रधान निजी सचिव	1 *(2017).  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-11 (रु. 67700 - 208700/-)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने	प्रोन्नित:- निजी सचिव जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रु 47600-151100/-) के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की सेवा कर चुके हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नहीं होता ।
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	टिप्पण जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।  प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण किए हुए हों और जो :	(1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ; (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य; (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ; (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।	
	क (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; अथवा		
	(2) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4800/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, या 4600/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 के ग्रेड वेतन में सात वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, या 4200/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और ख. आशुलिपि (अंग्रेजी/हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गित रखते हों। अनिवार्य:- कम्प्युटर प्रचालन का कार्य साधक ज्ञान		
	वांछनीय :- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।		
	टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
	टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. हिंदी अधिकारी	1 * (2017). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-9 (रु.53100- 167800/-)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नित:- हिंदी अनुवादक जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400-112400/-) के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों।  टिप्पण जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) में निम्निलिखित सम्मिलित होंगे:-  (1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;  (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य;  (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ;  (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य ।	लागू नहीं होता
	प्रितिनयुक्ति :- (i) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या  (ii) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. में 4800/-रु अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 ग्रेड वेतन में दो वर्ष की नियमित सेवा या 4600/-रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 के ग्रेड वेतन में चार वर्ष की नियमित सेवा या 4200/-रु अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ।  टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार,		

प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. लेखा अधिकारी	1 * (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-9 (रु. 53100-167800/- )	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न	प्रोन्नति:- ऐसे लेखाकार जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता ।
हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400-112400) के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की	में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	
द्वारा	सेवा कर चुके हों ।	(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष	
	टिप्पण जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा	द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;	
	पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से	(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;	
	जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य	
	ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के	- सदस्य	
	लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य ।	
	प्रतिनियुक्ति :- (क) ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
	उपाधि धारण किए हों और जो : (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या		
	अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या		

(ii) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में
वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. में 4600/-रु अर्थात् वेतन  मैट्रिक्स में स्तर 7 ग्रेड वेतन
में तीन वर्ष की नियमित सेवा या 4200/-रु अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड वेतन
में आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ।

वांछनीय: (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण:

(ii) आईएसटीएम में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य का अनुभव।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रितिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रितिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.अनुभाग अधिकारी	11 * (2017).  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-8 (रु. 47600 - 151100/-)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
	प्रोन्नति:- ऐसे सहायक (न्यायिक) जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु 35400-112400/-) के ग्रेड वेतन में छह		लागू नहीं होता ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा और रिक्तियां जहां प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नि:शेष कर लेने के पश्चात् भी रिक्त रह गई है वहां ऐसे पदों की संख्या का अधिकतम प्रतिशत 20 प्रतिनियक्ति पर अधिकारियों में से ऐसी शर्त के अध्ययधीन रहते हुए कि ऐसा अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है, पद के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते है, आमेलन द्वारा भरने पर विचार किया जा सकेगा ।

वर्ष की सेवा कर चुके हों।

टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो :

- (क) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या
- (ख्) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. में 4200/-रु अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

अनिवार्य: कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रितिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रितिनियक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा अध्यक्ष ;
- (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;
- (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य
- (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. निजी सचिव	21 * (2017)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)		स्तर-8 (रु. 47600- 151,100/-)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और जहां रिक्तियां प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निःशेष कर लेने के पश्चात् भी रिक्त रह गई है वहां ऐसे पदों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों में से ऐसी शर्त के अध्ययधीन रहते हुए कि ऐसा अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है, पद के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते है, आमेलन द्वारा भरने पर विचार किया जा सकेगा।	प्रोन्नित: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु) में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-1 जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा की है ।  टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।  प्रतिनियुक्ति: अधिकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री धारण किए हुए हो और,- (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) वेतन बैड-2, 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ कोर्ट मास्टर या आशुलिपिक श्रेणी-1 का पद धारण किए हुए हो और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण (अंग्रेजी) में 40 शब्द प्रति मिनट की गित रखता हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-  (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;  (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ;  (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य  (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।	लागू नहीं होता।

आवश्यक: मान्यताप्राप्त संस्थान से छह माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वांछनीय : विधि में डिग्री ।

टिप्पण 1-- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. सहायक (न्यायिक) # राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सहायक पद की नाम पद्धति को सहायक (न्यायिक) पढा जाएगा।	17 * (2017)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (रु. 35400 -112400/-)	लागू नहीं होता		आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; और (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से छह माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम वांछनीय: पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान एक विषय के रुप में के साथ डिग्री धारण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी;	लागू नहीं होता।	दो वर्ष  टिप्पण - दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

	उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप	में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य	
	या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	करने का दो वर्ष का अनुभव	
	विहित की गई है।)	रखते हों।	

(10)	(11)	(12)	(13)
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर	लागू नहीं होता ।	विभागीय प्रोन्नति समिति  (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नहीं होता।
स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष		(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;	
या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के		(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ;	
कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य		(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	
सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी		(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य ।	
जा सकेगी			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(1) 1. स्तकालयाध्यक्ष	(2) 5 * (2017)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	(3) लागू नहीं होता।	(4) स्तर-6 (रु. 35400 -112400/-)		(6) 21 से 30 वर्ष के बीच (केद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	(/) आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायत या कानूनी संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन	(8) लागू नही होता।	(9)  दो वर्ष  टिप्पण – दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।	

	जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, पुस्तकालय में दो वर्ष का हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति अनुभव।
	जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, वांछनीय : मान्यताप्राप्त अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप
	के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) उपयोजन में डिप्लोमा ।

(10)	(11)	(12)	(13)
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण	लागू नहीं होता ।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नही होता।
या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य		(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;	
परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार		(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ;	
या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों		(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	
के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा		(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य ।	
सकेगी		(4) आधकरण का राजस्ट्रार - सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1) 12 आशुलिपिक श्रेणी - 1	(2) 21 * (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	(3) लागू नहीं होता।	स्तर-6 (रु. 35400 – 112400/-)	(5) लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच (केद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के	श्रुतलेख: 100 शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट अनुलिपिकरण:- कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी); 65 मिनट (हिंदी);	(8) लागू नहीं होता।	(9)  दो वर्ष  टिप्पण – दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और			

स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पां अंदमान और निकोबार द्वीप या व अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	ा <b>वाछनाय</b> . मान्यताप्राप्त । ।
--	--------------------------------------

(10)  (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा  (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(11) प्रोन्नित: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा	(12) विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) में निम्निलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष;	होता।
	की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्निति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनियुक्ति: अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री धारण किए हुए हो और,- (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या	(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।	
	(ii) वेतन बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में आशुलिपिक श्रेणी-1 या समतुल्य पद धारण किए हुए हो और आशुलिपि (हिंदी/अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो। वांछनीय: मान्यताप्राप्त संस्थान से छह माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम।  टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)		(5	)	(6)	(7)	(8)	(9)
हिंदी ग्रादक	5 *(2017)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू न	ही स्तर-6 35400- 112400/-)	(रु.	लागू होता।	नहीं नहीं	23 से 32 वर्ष के बीच (केद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक अर्हता : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसके साथ अंग्रेजी या हिंदी आवश्यक या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो। (ii) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठयक्रम अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नही होता।	दो वर्ष  टिप्पण – दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी		विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नही होता।
बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक		(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;	
वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई		(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ;	
रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर		(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	
भरी जा सकेगी		(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)		लागू नही होता।	स्तर-6 (रु. 112400/-)	35400-	अचयन	लागू नहीं होता ।			

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नित: राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1 जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) में छह वर्ष या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।  टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नित सिमित (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) में निम्निलिखित सिम्मिलित होंगे:-  (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष;  (2) सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामिनिर्देशिती - सदस्य;  (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य  - सदस्य  (4) अधिकरण का रिजिस्ट्रार - सदस्य।	लागू नही होता।

प्रतिनियुक्ति: ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या जिन्होंने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में वेतन बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2800/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 में छह वर्ष या वेतन बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों:-

- (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;
- (ii) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; और
- (iii) मोटरकार के चालन का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव

टिप्पण 1-- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी - 1	2 *(2017)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)		स्तर-5 (रु. 29200- 92300/-)	अचयन	लागू नही होता।	लागू नही होता।	लागू नही होता।	लागू नही होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति: राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-।। जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नही होता।

भारत का राजपत्र : असाधारण

## प्रतिनियुक्ति द्वारा

सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो ।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या जिन्होंने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में वेतन बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रु. अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों:-

#### आवश्यक:

- (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;
- (ii) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; और
- (iii) मोटरकार के चालन का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव

टिप्पण 1-- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा अध्यक्ष ;
- (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य;
- (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य
- (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी - ।।		लागू नही होता।	स्तर-4 (रु. 25500-81100/-)	अचयन	लागू नही होता।	लागू नही होता।	लागू नही होता।	लागू नही होता।
· ·	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)							

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा		विभागीय प्रोन्नित सिमिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) में निम्निलिखित सिम्मिलित होंगे:-  (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;  (2) सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामिनिर्देशिती - सदस्य ;  (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य  (4) अधिकरण का रिजस्ट्रार - सदस्य।	लागू नही होता।

टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार,	
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।	
टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य	
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर	
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से	
अधिक नहीं होगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17. लेखापाल	5 *(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (रु. 25500- 81100/-)	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच (केद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	उपक्रम या स्वायत निकाय या कानूनी निकायों में नकद, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में चयन समिति के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष  टिप्पण – दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नही होता।
टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी।		(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ;         (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती- सदस्य ;         (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य       - सदस्य         (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार       - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18. आशुलिपिक श्रेणी ।।	12 *(2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नही होता।	स्तर-4 (रु. 25500- 81100/-)	लागू नहीं होता	21 से 27 वर्ष के बीच (केद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट अनुलिपिकरण:-	लागू नहीं होता।	दो वर्ष  टिप्पण – दो वर्ष की अविध  में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नही होता।
टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों अथवा अधिकरणों में के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी		(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)		लागू नहीं होता।	स्तर-2 (रु. 19900- 63200/-)	लागू नहीं होता		<b>आवश्यक :</b> (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से	लागू नही होता।	दो वर्ष  टिप्पण – दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह आज्ञापक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना सम्मिलित है।

				Ţ	
		अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह	होना चाहिए ।)		
		अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों			
		से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।			

(10)	(11)	(12)		(13)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-		लागू नहीं होता।
		(1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा	- अध्यक्ष ;	
		(2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्देशिती	- सदस्य ;	
		(3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य	- सदस्य	
		(4) अधिकरण का रजिस्ट्रार	- सदस्य ।	

[फा. सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीटी (भाग)]

अरुण कुमार मेहता, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458(अ) तारीख 17 जून, 2011 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2016 द्वारा अंतिम सशोधन किया गया।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2017

G.S.R 1362(E).—In exercise of powers conferred by section 12 and section 13 read with clause (h) of section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, namely:-

- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

## "SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Registrar	5 *(2017). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable	Level-13 (Rs.123100- 215900/-).	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	deputation or absorption, grades from	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion: Deputy Registrar with five years of service in pay matrix Level 12 (Rs. 78800-209200/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.  Note Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-  (1) Chairperson of the Tribunal - Chairman;  (2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member;  (3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;  (4) Expert Member to be nominated by	Not applicable.

successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Officers possessing a Bachelors degree in law from a recognised university and holding-

- (a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or
- (b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pre revised pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/- i.e. Level 12 in the Pay Matrix; or
- (c) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with ten years regular service in pre revised pay band -3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.6600/- i.e. Level 11in the Pay Matrix.

**Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2.-** Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the the Chairperson of the Tribunal - Member.

Central Government shall ordinarily	be
three years. The maximum age li	nit
for appointment by deputation sh	all
not be exceeding fifty-six years as	on
the closing date of receipt	of
applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Deputy Registrar.	5 *(2017) *Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level- 12 (Rs. 78800- 209200/-)	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)(11)(12)(13)By promotion failing Departmental Promotion Committee (for considering Not **Promotion:** Assistant Registrar with five years service in which by deputation promotion) consisting of:applicable. pay matrix Level 11 (Rs. 67700-208700/-), rendered after and where the number (1) Chairperson of the Tribunal - Chairman; appointment thereto on a regular basis in the National Green vacancies still (2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of remain vacant after Tribunal. the Tribunal - Member: exhausting the Note.- Where juniors who have completed their qualifying or channel of promotion/ (3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate deputation, eligibility service are being considered for promotion, their Change or his nominee -Member; maximum 20 of seniors would also be considered provided they are not short of percent of such posts (4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the requisite qualifying or eligibility service by more than half the Tribunal may be considered for - Member. filling of such qualifying or eligibility service or two years, whichever up absorption of officers is less, and have successfully completed probation period for on deputation, subject promotion to the next higher grade along with their juniors who to the condition that have already completed such qualifying or eligibility service. officers such on deputation hold the Deputation: Officers possessing Bachelors degree in Law from requisite qualification and experience for the a recognised university and holding; post. analogous post on regular basis in Central Government

or State Government or courts or tribunals; or

(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with five years regular service in pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/- i.e. Level-11 in the Pay Matrix.

**Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2.-** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Assistant	5 *(2017)	Not applicable	Level -11	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Registrar.	*Subject to variation depending upon workload.		(Rs. 67700- 208700/-).					

(10)	(11)	(12)	(13)
which by deputation and where the number of	service in pay matrix Level 8 (Rs. 47600-151100/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.  Note Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their services would also be	(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;	Not applicable.

20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition that such officers on deputation hold the requisite qualification and experience for the post.

eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Officers possessing a Bachelors degree in Law from a recognised university and holding-

- (a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or
- (b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 5400/- i.e. Level -9 in the Pay Matrix or six years regular service in grade pay of Rs. 4800/- i.e. Level- 8 in the Pay Matrix or seven years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix.
- **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2.-** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Forest and Climate Change or his nominee —Member;

(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Deputy Controller of Accounts.	1 *(2017)  * Subject to variation depending upon workload	Not applicable	Level -11 (Rs. 67700- 208700/-).	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(12)
(10)	(11)	(12)	(13)

By promotion failing which by deputation.

**Promotion:** Accounts Officer with five years of service in pay matrix Level 9 (Rs. 53100-167800/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

**Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Officers working as Deputy Controller of Accounts or equivalent in the Central Government or State Government or court or tribunal in the grade pay of Rs. 6600/- or officers in grade pay of Rs. 5400/- i.e. Level -9 in the Pay Matrix with five years regular service or grade pay of Rs. 4800/- i.e. Level -8 in the Pay Matrix with six years of regular service or seven years of regular service in the grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or in the grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix, with ten years of regular service in the field of accounts, budget, cash in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.

**Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2.-** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

## Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

- (1) Chairperson of the Tribunal Chairman;
- (2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member:
- (3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee —Member;
- (4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal Member.

Not applicable.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5. Principal Private Secretary.	1*(2017).  * Subject to variation depending upon workload	Not applicable	Level -11 (Rs. 67700- 208700/-).	Non -selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
---------------------------------------	---	-------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion: Private Secretary with six years of service in pay matrix Level 8 (Rs. 47600-151100/-) rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.  Note Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding,-  A. (1) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or  (2) post in Central Government or State Government or courts or tribunal with six years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- in the grade pay of Rs. 4800/- i.e. Level -8 in the Pay Matrix or seven years of regular service, or in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix; and  B. possessing speed of 100 words per minute in short hand (English/Hindi).  Essential: Working knowledge of computer operations.  Desirable: Computer Training Course of six months' duration from a recognised institution.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-  (1) Chairperson of the Tribunal- Chairman;  (2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;  (3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;  (4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member.	Not applicable.

Note 1 The	e departn	nental	offic	ers ir	n the	feede	r cate	gory who	are
in the dire	ect line	of p	oromo	otion	shal	ll no	t be	eligible	for
consideratio	n for	appo	intme	ent	on	depu	tation	. Simil	arly,
deputationis	ts shall	not	be	elig	ible	for	consi	deration	for
appointment	by prom	otion.							

**Note 2.-** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Hindi Officer.	1 *(2017)  * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -9 Rs. 53100- 167800/-).	Non- selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	<b>Promotion</b> : Hindi Translator with eight years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Not applicable.
	Note Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: (i) Officers holding analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or  (ii) officers holding the posts in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with	Judicial Member to be nominated by	

grade pay of Rs 4800/ i.e. Level -8 in the Pay Matrix with two years regular service or four years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6, in the Pay Matrix in the respective grade pay in Central Government or State Governments or courts or tribunals.	– Member.	
<b>Note 1</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
Note 2 Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Acc Officer.	* Subjet variation depending upon worklos	ct to n ng	Not applicable	Level -9 Rs. 53100- 167800/-).	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing	<b>Promotion:</b> Senior Accountant with eight years of service in pay matrix Level	<b>Departmental</b> Promotion	Not applicable.
	6 (Rs. 35400-112400/-) rendered after appointment thereto on a regular basis in	Committee (for considering	
	the National Green Tribunal.	promotion) consisting of:-	
	<b>Note</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service	(1) Chairperson of the Tribunal or a	
	are being considered for promotion, their seniors would also be considered	Judicial Member to be nominated by	
	provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by	the Chairperson – Chairman;	
		(2) Secretary, Ministry of	
	more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is	Environment, Forest and Climate	

less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding,-

- (i) analogous post on regular basis in Central Governments or State Government or courts or tribunals; or
- (ii) post in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with three years regular service in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix grade pay Central Government or State Governments or courts or tribunals.

**Desirable:** (i) A pass in Subordinate Account Service examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government or State Government;

(ii) successful completion of training in cash and accounts work in ISTM and experience in handling cash; accounts and budget work.

**Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2.-** Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Change or his nominee -Member;

- (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal Member:
- (4) Registrar of the Tribunal Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Section Officer.	11*(2017).  * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -8 (Rs.47600- 151100/-).	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10) $(12)$ $(13)$
--------------------

By promotion failing which by deputation and where the number of vacancies still remain vacant after exhausting the channel of promotion/ deputation, a maximum of 20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition officers that such deputation hold the requisite qualification and experience for the post.

[भाग II—खण्ड 3(i)]

**Promotion:** Assistant (Judicial) with six years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

**Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Officers possessing a Bachelor degree in law from a recognised university and holding,-

- (a) analogous post on regular basis in the Central Government or State Governments or courts or tribunals; or
- (b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with six years of regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix.

**Essential:** Knowledge in computer operation.

- **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2.-** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

## Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson Chairman;
- (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;
- (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal Member;
- (4) Registrar of the Tribunal Member.

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. Private	21 *(2017).	Not applicable	Level -8	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Secretary.	* Subject to	(Rs.47600-151100/-).			
	variation				
	depending				
	upon workload.				

(12)(10)(11)(13)Not applicable **Departmental Promotion Committee** By promotion failing **Promotion:** Stenographer Grade – I with six years of service in pay considering promotion) consisting of:which by deputation matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-) rendered after appointment and where the thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial number of vacancies Member to be nominated by the Chairperson Note.- Where juniors who have completed their qualifying or still remain vacant - Chairman: eligibility service are being considered for promotion, their seniors after exhausting the would also be considered provided they are not short of the requisite (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and channel qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying Climate Change or his nominee promotion/ -Member: or eligibility service or two years, whichever is less, and have deputation, (3) Expert Member to be nominated by the maximum of successfully completed probation period for promotion to the next Chairperson of the Tribunal - Member; percent of such posts higher grade along with their juniors who have already completed (4) Registrar of the Tribunal may be considered - Member. such qualifying or eligibility service. for filling up **Deputation:** Officers possessing a Bachelor degree from recognised absorption of officers university and holding,on deputation, subject (i) analogous post on regular basis in the Central Government or State to the condition that Government or courts or tribunals; or such officers on deputation hold the (ii) the post of Court Master or Stenographer Grade-I with six years requisite regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay qualification Rs 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix and possessing a speed of experience for the 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in type post. writing (English) in Central Government or State Governments or courts or tribunals. **Essential**: Computer Training Course of six months' duration from a recognised institute. **Desirable:** Degree in law. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in

the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for						
appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be						
eligible for consideration for appointment by promotion.						
N-4- 2 Desired of description in the discrete described of description in						

**Note 2.-** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. Assistant (Judicial).  # The Nomenclature of posts of Assistant in the National Green Tribunal may be read as Assistant (Judicial).	* Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -6 (Rs.35400- 112400/-).	Not applicable	Between 21 and 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).  Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	a degree with Environmental	Not applicable.	Two years.  Note The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10	))	(11)				(12)			(13)
Note caused lincumbent bon deputation illness or student duration of comore may be deputation by officers of Government Government or Tribunals.	Vacancies by the eing away on or long dy leave or other s for a one year or e filled on basis from Central or State	Not applicab	(1) C (2) So (3) E	Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson  Chairman;  Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee  Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal  Registrar of the Tribunal  — Member;  — Member.					Not applicable.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. Librarian.	5 *(2017).  * Subject to variation depending workload.	o a	Not applicable.	Level -6 (Rs.35400- 112400/-).	Not applicable.	Between 21 and 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).  Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in	Essential:  (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or Institute;  (ii) two years' experience in a library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research or educational	Not applicable.	Two years.  Note The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10)	(11)	Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(12)
(10)  By direct recruitment.	(11) Not	(12)  Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-	(13) Not
Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	not applicable.	(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;  (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee – Member;  (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;  (4) Registrar of the Tribunal – Member.	applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12. Stenographer Grade – I.	21 *(2017).  * Subject to variation depending upon workload.		Level -6 (Rs.35400- 112400/-).	Not applicable.	upto five years in	<ul><li>(i) Bachelors degree from a recognised university.</li><li>(ii) Skill Test:-</li></ul>	Not applicable.	Two years for Direct Recruits.  Note The period of two years shall

				Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Transcription:- 50 mts (English); 65 Mts. (Hindi) on computer; (iii) Computer training course of six months duration from a recognised institute.  Desirable: Bachelor Degree in Law from a recognised university.		include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.
(10)			(11)		(12)		(13)
(i) 50 percent by direct recruitment.		evel 4 (Rs. 25)	500-81100/-), re	II with ten years of service endered after appointment bunal.	Departmental Promotion Considering confirmation at consisting of:-	Not applicable.	
(ii) 50 percent by promotion failing which by deputation.	<b>Note</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				<ul><li>(1) Chairperson of the Tribund</li><li>Member to be nominated by</li><li>(2) Secretary, Ministry of Environd</li><li>and Climate Change or his non</li></ul>	the Chairperson – Chairman; fronment, Forest	
	<b>Deputation:-</b> Of university and hol		ng bachelor de	gree from a recognised	(3) Expert Member to be no Chairperson of the Tribunal	ominated by the – Member;	

(i) analogous post on regular basis in the Central Government or State Governments or courts or tribunals,	(4) Registrar of the Tribunal — Member.	
(ii) The post of Stenographer Grade-I or equivalent post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with ten years of regular service in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- of grade pay- Rs. 2400/- Level -4 in Pay Matrix and possessing speed of 80 words per minute in short hand (English/Hindi).		
<b>Desirable:</b> Computer training of six months' duration from a recognised institute.		
<b>Note 1</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
Note 2 Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. Hindi Translator.	5 * (2017).  * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Level -6 (Rs.35400- 112400/-).	Not applicable.	Between 23 and 32 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).  Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam,	(ii) Recognised Diploma or Certificate course in		Note The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of

Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi	translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government including Government of India	two weeks duration.
	•	
Spiti district and Pangi		
Sub-Division of Chamba		
district of Himachal Pradesh, Andaman and		
Nicobar Islands or		
Lakshadweep).		

(10)	(11)	(12)	(13)
Note Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-  (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson — Chairman;  (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee	·
Government or Courts or Tribunals.		Member;  (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;  (4) Registrar of the Tribunal – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14. Staff Car Driver - (Special Grade).	, , ,	Not applicable.	Level -6 (Rs.35400- 112400/-).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion: Staff Car Driver - Grade-I in the National Green Tribunal with six years regular service in pay matrix Level 5 (Rs. 29200-92300/-)or ten years of service in pay matrix Level 4 (Rs. 25500-81100/-) and have passed the trade test specified by the Government.  Note Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Persons holding analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or six years regular service in pay band – I, Rs 5200-20200/- plus grade pay – Rs. 2800/- i.e. Level-5 in the Pay Matrix or ten years of service in pay band-I Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/- i.e. Level -4 in the Pay Matrix in Central Government or State Government or courts or tribunals and having the following qualification and experience:  (i) Matriculation from a recognised Board; (ii) valid driving licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for three years or more.  Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-  (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson — Chairman;  (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee — -Member;  (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal — Member;  (4) Registrar of the Tribunal — Member.	Not applicable.

Note 2 Period of deputation including the period of deputation in another ex-
cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some
other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be
three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be
exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
15. Staff Car Driver – Grade- I.	2 * (20 *Subject dependit workload	t to variation upon	Not applicable.	Level -5 (Rs.29200- 92300/-).	Non-selection.	Not applica	ble.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)				(11)				(12)		(13)
By promotion which by deput		years regular ser the trade test spe Note Where is are being consi- provided they are than half of such and have success grade along wite eligibility services. Deputation: Per Government or service in pay base in the Pay Mattribunals and have Essential:  (i) Matricula (ii) valid dri (iii) experient	rvice in pay matricified by the Gove juniors who have dered for promo- e not short of the re- n qualifying or eli- sfully completed p th their juniors we e. ersons holding a State Government and – I, Rs. 5200-2 rix in Central Goving the following that on from a recognized for manager of the control of the	ix Level 4 (Rs. ernment. completed their otion, their senior requisite qualifying is in the probation period who have already analogous post as or courts or trace overnment or Sequalification and anised Board; notor cars; and otor car for three		have passed bility service considered vice by more never is less, e next higher qualifying or in Central rs of regular i.e. Level-4 or courts or	(for of:- (1) Judio Chair (2) S Fore nom (3) the	Chairperson of the cial Member to be sirperson Secretary, Ministry est and Climate inee Expert Member to Chairperson of Registrar of the Trib	e Tribunal or a nominated by the — Chairman; of Environment Change or hi — Member; be nominated by the Tribuna — Member;	a applicable.

of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	
Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by	
promotion.	
Note 2 Period of deputation including the period of deputation in another ex-	
cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other	
organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three	
years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be	
exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(	(6)	(7)	(8)	(9)
Driver – Grade –II.		abject to n depending	Not applicable.	Level -4 (Rs. 25500-81100/-).	Non-selection.	Non-selection. Not applicable. Not applicable. Not applicable.				Not applicable.
(10)				(11)				(13)		
	By promotion failing which by deputation.  Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade ) in the National Green Tribunal with eight years regular service in pay matrix Level 1 (Rs. 18000-56900/-) and have passed the trade test specified by the Government.								Not applicable.	
		are being c provided the than half of and have suc grade along eligibility ser <b>Deputation:</b>	provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				Judicial the Chair (2) Expethe Chair (3) Environ	Member to be irperson ert Member to be nairperson of Secretary, ment, Forest	e Tribunal or a e nominated by – Chairman; be nominated by the Tribunal – Member; Ministry of and Climate	
		service in pay band – I, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1900/- i.e. Level -					_	or his nominee egistrar of	-Member; the Tribunal - Member.	
		<b>Essential:</b>	Essential:							
		(i) Matı	riculation from a re	cognised Board;						

(ii) valid driving licence for motor cars; and	(ii) valid driving licence for motor cars; and	
(iii) experience of driving a motor car for three years or more.	(iii) experience of driving a motor car for three years or more.	
<b>Note 1</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on depu Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointm	tation.
<b>Note 2</b> Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	cadre post held immediately preceding this appointment in the same or som organisation or department of the Central Government shall ordinarily by years. The maximum age limit for appointment by deputation shall	e other e three

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17. Accountant.	5 * (2017). *Subject to variation depending upon workload.	Not applicable	Level -4 (Rs.25500- 81100/-).	Not applicable	Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).  Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba	(i) Bachelor of Commerce (B.Com) degree from a recognised university; (ii) two years experience in cash, account and budget work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.  Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of Selection Committee in the case of candidates who are otherwise well qualified.  Note 2 Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Selection Committee in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at	Not applicable.	Two years.  Note The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

	Pradesh, Andaman and	any stage of selection, the Selection Committee is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	----------------------	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Not
Note Vacancies caused by the	applicable.	(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson	applicable.
incumbent being away on deputation or		– Chairman;	
long illness or study leave or under other		(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee	
circumstances for a duration of one year		-Member;	
or more may be filled on deputation basis		(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;	
from officers of Central Government or		(4) Registrar of the Tribunal – Member.	
State Government or Courts or Tribunals.		•	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18. Stenographe Grade – II.	12 *(2017).	Not applicable.	Level -4 (Rs.25500- 81100/-).	Not applicable.	Between 21 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).  Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,		Not applicable.	Two years.  Note The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

			att 11 BEC. 5(1)]
		Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:  (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson—Chairman;  (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;  (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal—Member;  (4) Registrar of the Tribunal—Member.	Not applicable.

(6)

19. Staff Car	12 *	Not	Level -2	Not	Between 18 and 27 years	Essential:	Not	Two years
Driver	(2017).	applicable	(Rs.19900-	applicable	(Relaxable for Government	(i) Matriculation	applicable	for direct
(Ordinary	*Subject to		63200/-).		servants upto forty years in	from a recognised		recruits.
Grade).	variation				accordance with (the instructions or	Board;		<b>Note</b> The
	depending				orders issued by the Central	(ii) Possession of		period of
	upon				Government).	a valid driving licence		two years
	workload.				Note 1:- The crucial date for	for motor cars;		shall
					determining the age limit shall be	(iii) Experience of		include
					the closing date for receipt of	driving a motor car for		successful
					applications from candidates in	three years or more;		completion
					India (and not the closing date	and		of
					prescribed those in Assam,	(iv) Knowledge of		mandatory
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,	motor mechanism (the		induction
					Mizoram, Manipur, Nagaland,	candidate should be		training of
					Tripura, Sikkim, Ladakh, Division	able to remove minor		two weeks
					of Jammu and Kashmir State,	defects in vehicle).		duration.
					Lahaul and Spiti district and Pangi			
					Sub-Division of Chamba district of	C		
					Himachal Pradesh, Andaman and	of motor mechanism		
					Nicobar Islands or Lakshadweep).	(the candidate should		
					<b>Note 2:-</b> In case of the recruitment	be able to rectify the		
					made through the Employment	minor defects in		
					Exchange, the crucial date for	vehicles).		
					determining the age limit shall be			
					the last date up to which			
					Employment Exchange is asked to			
					submit the names.			

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-	
		(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;	
		(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;	
		(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal — Member;	

52	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PAR	[PART II—SEC. 3(i)]		
	(4) Registrar of the Tribunal	– Member.			

[F. No. 17(23)/2010-PL/NGT (pt.)]

ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 458(E), dated the 17<sup>th</sup> June, 2011 and subsequently amended *vide* notification G.S.R. 437(E), dated the 21<sup>st</sup> April, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.